न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

PBR/पुनर्स्थापन/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3836 प्र.कं. ए–7269--पीबीआर/16/होशंगाबाद

हरिश .. अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन .. प्रत्यर्थी

अ. श्री अखिलेश तिवारी द्वारा भोपाल कैम्प में 26/9/17 को प्रस्तुत किया गया।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–35(3) म.प्र.भू.रा.संहिता--1959

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि –

01. यह कि अपीलार्थी का उक्त प्रकरण A 7269-PBR/16/होशंगाबाद दिनांक 31.08.2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत था ।

NF 01/11/17

02. यह कि मुझ अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण की पेशी अपनी डायरी में 26.09.2017 नोट कर लिया था इस कारण अपीलार्थी नियत दिनांक 31.08.2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका तथा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज़ हो गया ।

अभि. श्री अखिलेश तिवारी उपस्थित

03. यह कि अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति सद्भाविक होकर क्षमा योग्य है ।

04. यह कि अपीलार्थी की अनुपस्थित सकारण होकर उक्त भूल/अनुपस्थिति को व्यापक दृष्टिकोण व उदारतापूर्वक निराकृत करते हुए क्षमा किये जाने की कृपा करें ।

प्रार्थना

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित करे जो कि न्यायोचित होगा ।

अपीलार्थी

भोपाल द्वारा

दिनांक : 26/9/17

अधिवक्ता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/ पुर्नस्थापन/ होशंगाबाद /भू.रा./2017/3836

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–12–2017	आवेदक की ओर से श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक उपस्थित । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन पत्र उसी दिन प्रस्तुत कर दिया गया है । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र में बताये गये कारण सद्भाविक प्रतीत होते हैं, अतः न्यायहित में मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाये । पुर्नस्थापन प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	